

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 262/2016/223 आर टी ए

1. मु0 उदी बेवा ख्यालीराम जाति जाट निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. देवीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. प्रेमलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. रेवन्तराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांटस

बनाम

1. पन्ना पुत्र जस्सू जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (फौत)।
- 1/1 मोहनलाल पुत्र पन्ना जाति जाट निवासी चक 3 एएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
- 1/2 बलराम पुत्र पन्ना जाति जाट निवासी चक 3 एएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. कालूराम पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.1986 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर
प्र0सं0 254/1985 अनवानी पन्ना बनाम मु0 उदी आदि

उपस्थित :-

श्री रमेश कुमार वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्टस
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1/1 से 1/2
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय

दिनांक:-09.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया कि प्रतिवादीगण के नाम से वाके चक 2 एमजैडडब्ल्यू खाता सं. 52 मे 2.125 है0 आराजी दर्ज रिकार्ड है। चक 2 एमजैडडब्ल्यू मे नत्थुराम वगैरा का 1/2 हिस्सा व लाधूराम का चक 2 एमजैडडब्ल्यू मे 3.08 बीघा आराजी का हक हिस्सा बनता था लाधूराम ने अपने जीवनकाल मे अपने हक व हिस्सा की भूमि दिनांक 6.6.73 को बैचान कर दी। इस प्रकार लाधूराम का चक 2 एमजैडडब्ल्यू की भूमि मे कोई हिस्सा नहीं रहा। राजस्व रिकार्ड मे 1/2 हिस्सा गलत अंकित है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपना हक व हिस्सा वादी सं. 2 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है। वादीगण अपने हक व हिस्सा के अनुसार घरुबंटवारा कर आराजी पर काबिज है। वादीगण घरुबंटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण मे राजीनामा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर दावा

स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत व विधि विरुद्ध व न्यायिक दृष्टांतो के विपरीत है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र में अपीलांट व रेस्पो0 सं. 8 को पक्षकार नहीं बनाया जबकि अपीलांट स्व. लाधूराम के पुत्र है तथा रेस्पो0 सं. 8 लाधूराम की पत्नि है। अपीलांट के व रेस्पो0 सं. 8 के नाम से वाके चक 2 एमजैडडब्ल्यू खाता सं. 52/44 में 55 हिस्सा बहिस्सा बराबर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जबकि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावा में बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है जो काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय में एक राजीनामा प्रस्तुत किया था जो रेस्पो0 सं. 3 ता 7 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रतिवादी के मध्य हुए घरुबंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है, का अंकन किया है जबकि रेस्पो0 सं. 3 ता 7 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में अपीलांट व रेस्पो0 सं. 8 के द्वारा किसी तरह की कोई सहमति नहीं दी गई है क्योंकि अपीलांट का इस दावा की बिना जानकारी तथा बिना पक्षकार बनाये ही दावा डिक्री किया गया है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 8 के नाम से वाके चक 2 एमजैडडब्ल्यू खाता सं. 52 में कुल 2.125 है0 भूमि में 55 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट के हक प्रभावित होते हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई विधि विरुद्ध पारित किया गया है तथा अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है इसलिए बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 व 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादग्रस्त भूमि लाधूराम के नाम दर्ज है परन्तु लाधूराम अपने जीवनकाल में अपने हक व हिस्सा की आराजी की बैचान कर दिया गया था इसके बावजूद भी लाधूराम का वादग्रस्त भूमि में हिस्सा दर्ज रहा जो गलत अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा में प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 व 2 का वादपत्र राजीनामा के आधार पर विधिनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जो सही है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट का कोई हक व हिस्सा नहीं है। क्योंकि अपीलांट के पिता लाधूराम द्वारा अपने हक हिस्सा की आराजी बैचान कर दिया

गया था परन्तु रिकार्ड में लाधूराम का हिस्सा दर्ज रहा जो लाधूराम की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के दर्ज हो गया जो गलत दर्ज है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज होने से खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट व रेस्पों सं. 8 के नाम दर्ज है। रेस्पों सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट व रेस्पों सं. 8 को बिना पक्षकार बनाये दावा प्रस्तुत कर इनके नाम दर्ज आराजी से अपीलाण्ट व रेस्पों सं. 8 का नाम कलमजन किये जाने का अनुतोष चाहते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। जबकि वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज है तथा दावा में आवश्यक पक्षकार थी जिसे पक्षकार बनाये जाकर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर घोषणा के वाद का निस्तारण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे अपीलाण्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हो सका ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय त्रुटि प्रतीत होने के कारण अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।
6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2010 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट अन्य प्रभावित पक्षकार को प्रकरण में पक्षकार के रूप से संयोजित किया जाकर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिवत रूप पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.03.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़